



राजस्थान सरकार
परिवहन विभाग

सूचना

- परिवहन विभाग द्वारा समस्त वाहनों की प्रदूषण जांच सुनिश्चित करने हेतु राजस्थान मोटरयान प्रदूषण जांच केन्द्र योजना (ऑनलाईन) –2017 दिनांक 04.10.2017 से प्रभावी एवं सरलीकृत रूप में लागू।
- वाहनों की प्रदूषण जांच हेतु 240 प्रदूषण जांच केन्द्रों को नेटवर्किंग के माध्यम से जोड़ा गया है, जिससे प्रत्येक वाहन की प्रदूषण जांच का रिकॉर्ड ऑनलाईन उपलब्ध हो सकेगा तथा नियमित रूप से प्रदूषण जांच नहीं कराने वाले वाहनों की पहचान सुनिश्चित हो सकेगी।
- प्रदूषण जांच हेतु देय शुल्क निम्नानुसार है :–

वाहन की श्रेणी	निर्धारित दरें
पेट्रोल चलित दोपहिया वाहन	50 रुपये
तिपहिया वाहन (पेट्रोल / एल.पी.जी. / सी.एन.जी.)	70 रुपये
चार—पहिया वाहन (पेट्रोल / एल.पी.जी. / सी.एन.जी.)	70 रुपये
डीजल वाहन	100 रुपये

- इस योजना के अन्तर्गत नियमित रूप से प्रदूषण नियंत्रण प्रमाण पत्र प्राप्त नहीं करने पर मोटरयान अधिनियम, 1988 की धारा 190(2) के अन्तर्गत देय शास्ती वसूल किये जाने की कार्यवाही प्रारम्भ की जावेगी।
- शास्ति का भुगतान ऑनलाईन/ई-मित्र के माध्यम से परिवहन विभाग के राजस्व मद में कराया जा सकेगा।
- ऑनलाईन प्रदूषण नियंत्रण प्रमाण पत्र की समाप्ति से पूर्व Reminder SMS प्राप्त होगा।
- प्रथम चरण में जयपुर जिले में पंजीकृत एवं संचालित समस्त श्रेणी के वाहनों की प्रदूषण जांच निम्नानुसार चरणबद्ध रूप में करवाई जा सकेगी –

पंजीयन क्रमांक	प्रदूषण जांच हेतु निर्धारित अंतिम तिथि
1 से 2000	15.02.2018
2001 से 5000	15.04.2018
5001 से 9999	15.06.2018

- राज्य एवं अन्य राज्य के पंजीकृत किसी भी श्रेणी के अथवा पंजीयन क्रमांक के वाहन की प्रदूषण जांच भी करवाई जा सकती है।
- प्रदूषण जांच की अनिवार्यता से छूट – नये वाहनों को पंजीयन दिनांक से 1 वर्ष तक प्रदूषण जांच की आवश्यकता नहीं।
- वाहन के प्रदूषण जांच में फेल होने पर – किसी भी वाहन के प्रदूषण जांच में फेल (निर्धारित मानक से अधिक) होने की स्थिति में 7 दिवस के भीतर पुनः प्रदूषण जांच करवाया जाना आवश्यक।
- पंजीयन क्रमांक के अनुसार निर्धारित की गई अंतिम दिनांक का इन्तजार न करें। हमारे पर्यावरण को प्रदूषण मुक्त बनाने की पहल में सहयोग करें तथा आज ही अपने वाहन की प्रदूषण जांच करायें।

**For more details visit our website <https://transport.rajasthan.gov.in>
and <https://rajasthanpuc.in>**

**For mobile app on Vehicular Pollution Control download CPUCC App
Available on Google play and App store**

परिवहन विभाग, राजस्थान सरकार द्वारा जनहित में जारी।